झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

आदेश

राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के फैलाव, इलाज एवं रोक–थाम, प्रचार–प्रसार एवं सूचनाओं के आदान–प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में लगातार स्थिति की निगरानी की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न स्तरों यथा, राज्य स्तर/जिला स्तर/प्रखंड स्तर एवं पंचायत स्तर पर निम्नवत् समन्वय समिति का गठन किया जाता है :

1. राज्य स्तरीय समन्वय समिति

- मुख्यमंत्री (अध्यक्ष) – अध्यक्ष
- मंत्री, स्वास्थ्य–सह–आपदा प्रबंधन विभाग – सदस्य
- मुख्य सचिव – सदस्य
- विकास आयुक्त – सदस्य
- अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा विभाग – सदस्य
- पुलिस महानिदेशक–सह–महानिरीक्षक – सदस्य
- अपर मुख्य सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग – सदस्य
- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग – सदस्य सचिव
- प्रधान सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग – सदस्य
- सचिव, परिवहन विभाग – सदस्य
- सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग – सदस्य
- निदेशक, रिम्स – सदस्य
- डॉ0 योगेश गंभीर, राज हॉस्पीटल – सदस्य

समिति के कार्य

i. सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रत्येक दिन 5 PM बजे उपायुक्तों से अद्यतन जानकारी प्राप्तकर राज्य स्तरीय समिति को अवगत कराया जाएगा।

ii. मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक दिन 6 PM बजे राज्य की जनता के लिए बुलेटिन जारी किया जाएगा।

iii. मुख्य सचिव प्रत्येक दिन विभिन्न जिलों में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता संबंधित रिपोर्ट समर्पित करेंगे।

iv. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक दिन स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित जानकारी समर्पित करेंगे।

v. पुलिस महानिदेशक राज्य के सभी प्रवेश बिन्दुओं एवं आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषय पर रिपोर्ट समर्पित करेंगे।

vi. राज्य स्तरीय कण्ट्रोल रूम के माध्यम से 24 घंटे स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी।

vii. प्रत्येक दिन अपराह्न 5:00 बजे राज्य की स्थिति का आकलन करते हुए सभी संबंधित को उचित दिशानिर्देश दिया जाएगा।

2. **जिला स्तरीय समन्वय समिति :–**

- उपायुक्त – अध्यक्ष
- वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक – सदस्य
- म्युनिसपल कमिश्नर – सदस्य
- उप विकास आयुक्त – सदस्य
- सिविल सर्जन/अस्पताल उपाधीक्षक – सदस्य सचिव
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी – सदस्य
- जिला श्रम अधीक्षक – सदस्य
- जिला परिवहन पदाधिकारी – सदस्य
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, JSLPS (अन्य नेटवर्क के साथ महिला समूह का नेटवर्क जरूरी)– सदस्य
- जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी – सदस्य

समिति के कार्य

i. प्रखण्ड स्तरीय समिति से प्रत्येक दिन जानकारी प्राप्त करना एवं उनका तत्काल क्षमतानुसार समाधान करना।

ii. प्रत्येक जिलों में कण्ट्रोल रूम (24 घंटे) की स्थापना तथा संचालन।

iii. पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस एवं ममता वाहन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

iv. प्रखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कोरोना से प्रभावित मरीजों को Quarantine केन्द्र से अस्पताल तक मंगवाने की व्यवस्था करना।

v. आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता एवं बाजार में मूल्यों की लगातार निगरानी।

vi. राज्य स्तरीय समिति को लगातार स्थिति से अवगत कराते हुए प्राप्त निर्देषों का अनुपालन करना ।

vii. जिला स्तर, प्रखंड एवं पंचायत स्तर के समितियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आवष्यक दिशानिर्देश जारी करना।

viii. पुलिस बल के सहयोग से संभावित मरीजों को कोरेन्टाइन सुनिश्चित करना।

ix. शहरी निकाय के क्षेत्रों में पर्याप्त प्रचार–प्रसार एवं सुविधा उपलब्ध कराना।

x. राज्य स्तरीय समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

3. **प्रखण्ड स्तरीय समन्वय समिति :–**

- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी – अध्यक्ष
- अंचलाधिकारी – सदस्य
- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी – सदस्य
- JSLPS प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी – सदस्य

- पणन पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी – सदस्य

<u>समिति के कार्य</u>

i. पंचायत स्तरीय समिति से प्रत्येक दिन जानकारी एकत्रित करना एवं उनका तत्काल क्षमतानुसार समाधान करना।
ii. प्रखण्ड स्तरीय अस्पतालों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करना।
iii. पंचायत स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों में सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
iv. समिति के नियंत्रण में 5 एम्बुलेंस / ममता वाहन एवं 5 माल वाहक वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
v. प्रत्येक प्रखण्ड में Quarantine केन्द्र की शुरूआत एवं संचालन करना तथा इन केन्द्रों पर सामान्य चिकित्सकीय सुविधा सुनिश्चित करना।
vi. अगर ऐसे किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण की जानकारी मिलती है तो तुरंत प्रखण्ड में बने Quarantine केन्द्र में उसे शिफ्ट करना तथा उसके सैंपल जाँच के लिए राँची / नजदीकी के जाँच केन्द्र भिजवाना।
vii. जिला स्तरीय समिति के निर्देशों का अनुपालन।

4. <u>पंचायत स्तरीय समन्वय समिति :–</u>

- मुखिया – अध्यक्ष
- पंचायत समिति सदस्य – सदस्य
- ग्राम संगठन की अध्यक्ष एवं सचिव – सदस्य
- पंचायत सचिव / जन सेवक – सदस्य सचिव
- स्वास्थ्य उप–केन्द्र में पदस्थापित ए0एन0एम0 – सदस्य

<u>समिति के कार्य</u>

i. पंचायत स्तरीय दल राज्य के बाहर से आये हुए लोगों को, जिनके घर पर अलग से कमरे की व्यवस्था नहीं है, के लिए पंचायत भवन में Quarantine की व्यवस्था करना।
ii. गाँवों में ग्रामीण घरों में कमरों की कमी की संभावना के कारण सभी पंचायत भवनों में Quarantine केन्द्र स्थापित करना। जहाँ आस–पास के टेंट वाले भाड़े पर तोसक / तकिया / कम्बल / खाने के बर्तन की व्यवस्था करना एवं वहाँ खाने–पीने एवं अन्य जरूरी संसाधनों की व्यवस्था पंचायत स्तरीय समिति के माध्यम से सुनिश्चित करना।
iii. पंचायत स्तरीय केन्द्रों पर प्रत्येक दिन (भर्ती रोगी) Admitted व्यक्तियों के खाने की व्यवस्था करना ताकि इन केन्द्रों पर रह रहे लोगों एवं पंचायत के निःशक्त परिवारों को सहायता मिल सके।
iv. पंचायत में किसी निःशक्त परिवार को खाद्यान्न की कमी न हो, इसे सुनिश्चित करना।
v. सभी ग्रामीणों को वैयक्तिक साफ–सफाई तथा सामाजिक दूरी के संबंध में अवगत कराना । पंचायत क्षेत्र में आवष्यक बस्तुओं की स्थिति का आकलन करना तथा तत्काल प्रखंड स्तरीय समिति को सूचित करना ।

5. <u>ग्राम स्तरीय कार्य समिति :–</u>

- वार्ड सदस्य — अध्यक्ष
- आशा (सहिया) — सदस्य सचिव
- आंगनबाड़ी सेविका–सहायिका — सदस्य
- शिक्षक — सदस्य

<u>समिति के कार्य</u>

i. प्रत्येक गाँव में बाहर (दूसरे राज्य या देश) में काम या पढ़ाई करने, इलाज कराने गए युवक–युवतियों की जानकारी इकट्ठा करना। इस सूची को दिन में तैयार कर पंचायत स्तरीय समन्वय समिति को उपलब्ध कराना।

ii. अपने गाँव की स्थिति से पंचायत स्तरीय समिति को अवगत कराना।

iii. प्रत्येक दिन जानकारी इकट्ठा करना कि कोई दूसरे शहर/राज्य/देश से वापस तो नहीं आया है।

iv. कोलकाता, महाराष्ट्र (मुंबई), दिल्ली, चेन्नई, केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब या किसी अन्य राज्य से वापस आ रहे लोगों को कम से कम 14 दिनों तक अपने घर में ही रहने की विनती करना और जानकारी प्रेषित करना कि इस दौरान वे अपने घर के सदस्यों से भी पर्याप्त दूरी बना के रहेंगे।

v. ग्रामीणों के स्वास्थ्य की समीक्षा करना तथा आवष्यकताओं के संबंध में पंचायत/प्रखंड स्तरीय समिति को तत्काल अवगत कराना ।

Kulkarni 23/3/2020

(डा0 नितीन कुलकर्णी)
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक: - 149 (HS) दिनांक : 23/03/2020

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव/मा0 मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/पुलिस महानिदेषक/अपर मुख्य सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/सचिव, सूचना एवं जन संपर्क विभाग/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं, नामकूम, रांची/ सभी उपायुक्त, झारखंड/पुलिस अधीक्षक, झारखंड/निदेशक, औषधि, नामकूम, रांची/उपायुक्त, रांची/वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Kulkarni 23/3/2020

सरकार के प्रधान सचिव ।